समक्ष: ए.पी. चौधरी, जे.

राम कुमार और अन्य-याचिकाकर्ता,

बनाम

भाले राम और अन्य,-प्रतिवादी।

*सिविल पुनरीक्षण संख्या*1989 का 272.

29 मार्च, 1990

*सिविल प्रक्रिया संहिता (अधिनियम V)*1908)—एस. 115, ओ. 21, आरएलएस। 35(1), 35(2) एवं 36-संयुक्त कब्जे के लिए डिक्री-वास्तविक कब्जे के लिए वारंट जारी-वास्तविक कब्जा-क्या वितरित किया जा सकता है।

*आयोजित,*कि 'वास्तविक कब्ज़ा' और 'संयुक्त कब्ज़ा' के बीच का अंतर अच्छी तरह से पहचाना जाता है और यह महत्वपूर्ण महत्व का है। 'वास्तविक कब्जे' के लिए डिक्री का निष्पादन ओ. 21, आरएल के तहत निपटाया जाता है। 35(1) जबकि संयुक्त कब्जे के लिए डिक्री ओ. 21, आरएल के तहत निपटाई जाती है। 35(2) और आर.एल. सिविल प्रक्रिया संहिता के .36. इस प्रस्ताव के लिए कोई अधिकार नहीं है कि जहां डिक्री संयुक्त कब्जे के लिए है, वास्तविक कब्जे की डिलीवरी का प्रभाव वास्तविक कब्जे के लिए डिक्री को परिवर्तित करने का होगा।

(पैरा 4)

*धारा के तहत याचिका*श्री एमएल बंसल, एचसीएस, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, नरवाना की अदालत के 23 जनवरी, 1939 के आदेश के खिलाफ सीपीसी की धारा 115, जिसमें आदेश दिया गया था कि 16 जनवरी, 1989 को डिक्री-धारक द्वारा उसे अनुमति देने के लिए आवेदन दिया गया था। कथित खड़ी फसलों के मुआवजे को जमा करने के लिए लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया गया है और आगे आदेश दिया गया है कि एक एहतियाती उपाय, भौतिक कब्जे को फिर से स्थानांतरित करने के लिए राजस्व अधिकारियों, उचाना को कब्जे का एक नया वारंट जारी किया जाए, यदि कोई हो , जेडी को तुरंत संपत्ति का मुकदमा। डिक्री धारक को केवल संयुक्त कब्ज़ा दिया जाता है जैसा कि ऊपर उल्लिखित 10 जून, 1988 के निर्णय और डिक्री में कहा गया है। मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 8 फरवरी, 1989 को नहीं आना है।

*दावा: आवेदन यू/ओ*21, नियम 11, सीपीसी

दावा*पुनरीक्षण में: निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए।*

याचिकाकर्ता के वकील एसपी गुप्ता।

प्रतिवादी की ओर से एसडी बंसल, अधिवक्ता।

प्रलय

*एपी चौधरी,*जे।

(1) इस पुनरीक्षण याचिका के निपटान के लिए आवश्यक भौतिक तथ्य यह हैं कि

याचिकाकर्ताओं ने 10 जून, 1988 को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जींद की अदालत से उत्तरदाताओं के खिलाफ संयुक्त कब्जे की डिक्री प्राप्त की। उत्तरदाताओं द्वारा नियमित दूसरी अपील दायर की गई उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध 17 मार्च 1989 को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने लिया! 19 जुलाई, 1988 को डिक्री का निष्पादन किया गया और अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक कब्जे के लिए वारंट जारी करने की प्रार्थना की गई। 2 दिसंबर, 1988 को अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, नरवाना के कार्यकारी न्यायालय द्वारा ऐसे वारंट जारी किए गए थे। कब्जे के वारंट के अनुपालन में, राजस्व अधिकारियों ने 25 दिसंबर, टी988 को याचिकाकर्ताओं को संबंधित भूमि का वास्तविक कब्जा सौंप दिया। चूंकि कब्जा देने के समय कुछ फसल खड़ी थी, इसलिए मुआवजे की एक निश्चित राशि का आकलन किया गया था, जिसे डिक्री-जेक्सोल्डर को निष्पादन न्यायालय में जमा करना आवश्यक था। फैसले के देनदार यानी उत्तरदाताओं ने 5 जनवरी, 1989 को एक आवेदन दिया कि चूंकि डिक्री स्वयं संयुक्त कब्जे के लिए थी, इसलिए वास्तविक कब्जा नहीं दिया जा सका और वह कब्जा उन्हें बहाल कर दिया जाए। विपरीत पक्ष को नोटिस के बाद) निष्पादन न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा दिनांक 2 दिसंबर, 1988 के आदेश की समीक्षा की। यह माना गया कि डिक्री संयुक्त कब्जे के लिए थी और इसलिए, वास्तविक कब्जा नहीं दिया जा सकता था। यह निर्देश दिया गया कि कब्जा निर्णय देनदारों को पुनः वितरित किया जाए। खड़ी फसल की मुआवजा राशि जमा करने का आवेदन खारिज यह संशोधन उसी आदेश के विरुद्ध निर्देशित है।

(2) वर्तमान पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय के 31 जनवरी, 1989 के आदेश द्वारा पक्षों को कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। यह 1 फरवरी, 1989 को संबंधित अधिकारियों को दिया गया था। उक्त आदेश के बावजूद, हालाँकि, राजस्व अधिकारी 2 फरवरी, 1989 को निष्पादन न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उत्तरदाताओं को कब्ज़ा देने के लिए आगे बढ़े। अदालत की अवमानना की याचिका दायर की गई, जिस पर नायब-तहसीलदार को आदेश की अवज्ञा करने के लिए जिम्मेदार पाया गया। इस न्यायालय को दोषी ठहराया गया और सजा दी गई।

(3) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या डिक्री में संयुक्त कब्जा वास्तविक है¬

कब्ज़ा कैम वितरित किया जाए। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील जयगोपाल मुंद्रा बनाम गुलाब चंद अग्रवाल और अन्य (1) पर भरोसा करते हैं, जिसमें विद्वान न्यायाधीशों ने निर्णय की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप तय किए गए पूर्वसर्ग को स्वीकार कर लिया कि जहां वास्तविक के लिए डिक्री में 'प्रतीकात्मक कब्ज़ा' दिया जाता है कब्ज़ा', प्रतीकात्मक कब्ज़ा वास्तविक कब्ज़े के रूप में कार्य करेगा। उस मामले के तथ्यों में, डिक्री सामरिक कब्जे के लिए थी। संबंधित पक्ष ने इस बात पर विवाद किया कि वास्तविक कब्ज़ा देने के बजाय केवल प्रतीकात्मक कब्ज़ा दिया गया है। यह माना गया कि निर्णय देनदार के खिलाफ जहां डिक्री वास्तविक कब्जे के लिए थी, प्रतीकात्मक कब्जे की डिलीवरी वास्तविक कब्जे की डिलीवरी के समान थी। द. याचिकाकर्ताओं के लिए प्राधिकरण का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाला प्रतिस्थापन पूर्वोक्त पूर्ण पीठ के फैसले के प्रस्ताव के विपरीत है। यहां डिक्री 'संयुक्त कब्जे' के लिए थी और यह देखना होगा कि क्या संयुक्त कब्जे की डिक्री को कभी वास्तविक कब्जे के लिए डिक्री माना जा सकता है। विद्वान वकील द्वारा इस प्रस्ताव के लिए कोई अधिकार उद्धृत नहीं किया जा सका।

(4) विद्वान वकील द्वारा संदर्भित अन्य प्राधिकारी जंगीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2) हैं।

निर्णय का अनुपात निर्णय यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा सिविल कोर्ट के डिक्री को उलटने के बाद कब्जे की बहाली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आवेदन एकमात्र उपाय नहीं था और किसी अन्य फोरम/कार्यवाही को रोकता नहीं है। कानून द्वारा जिसके तहत कब्जे का दावा किया जा सकता है। जाहिर है, उपरोक्त निर्णय से याचिकाकर्ताओं को कोई मदद नहीं मिलेगी। 'वास्तविक कब्ज़ा' और 'संयुक्त कब्ज़ा' के बीच का अंतर अच्छी तरह से पहचाना जाता है और महत्वपूर्ण महत्व का है। का निष्पादन। 'वास्तविक कब्जे' की डिक्री को आदेश 21, नियम 35(1) के तहत निपटाया जाता है, जबकि संयुक्त कब्जे की डिक्री को आदेश 21, नियम 35(2) और नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियम 35 के तहत निपटाया जाता है। इस प्रस्ताव के लिए कोई अधिकार नहीं है कि जहां डिक्री संयुक्त कब्जे के लिए है, वास्तविक कब्जे की डिलीवरी का प्रभाव डिक्री को वास्तविक कब्जे के रूप में परिवर्तित करने का होगा। इसलिए, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाती है।¬¬¬

पीसीजी

(1) एआईआर 1974 उड़ीसा, 173 (एफबी)

(2) 1977 पी.एल.जे., 79.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार, हरियाणा